

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० जखोली में
मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव
-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | |
|-------|---|---|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रुद्रप्रयाग। |
| iii) | वन प्रभाग | रुद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में) | 1.4850 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 0.7425 है० सिविल सोयम भूमि
0.0000 है० आरक्षित वन भूमि
1.9575 है० नाप भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 0.001 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 2.00 किमी० |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पो के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | लागू नहीं |
| 10- | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- | |
| i. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनेधारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- | |

- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य। संलग्न है।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 1984 वर्ग किमी0
- ii. जिला का वन क्षेत्र। 1790.995 वर्ग किमी0
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- v. तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम
सरकारी मोहर

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान-

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि :

स्थान :

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 16.11.2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री विक्रम सिंह वन दरोगा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री दिनेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, एवं श्री जसपाल सिंह जगवाण मेट/कार्य अभिकर्ता के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.0000 हे०, सिविल एवं रोडम वन भूमि 0.7425 हे०, वन पचायत भूमि 0.000 हे० एवं नाप भूमि 1.9575 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की गण न्यूनतम है। प्रस्तावित कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का फाटन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....

प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशामी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



वन क्षेत्राधिकारी
जखोली
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग



राजस्व उपनिरीक्षक

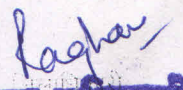
21/3/16
21/3/16
21/3/16



तहसीलदार
जखोली



उप निरीक्षक
जखोली



बिला प्रविधिकारी
रुद्रप्रयाग

संपुर्ण निर्देशिका

आज दिनांक 16.11.2013 को मरगांव से लेना उक्त मोटर मार्ग
(नव-निर्माण) का संपुर्ण निर्देशिका दिया गया, संपुर्ण निर्देशिका के
जल-विभाग की विप्लवमोहक को-देखो, रक्षात्मक विभाग, लोक-
निर्माण विभाग के कमचिरी उपस्थित थे मोटर मार्ग सिविल
भूमि एवं जल भूमि में निर्माण होने के कारण मार्ग में आने
वाले बंधों की सुनी जाय बाद संपुर्ण है,

॥
॥

अमाए
वाट डी गी
कुमडी/मिला

विप्लवमोहक को-देखो
वाट डी गी
16.11.2013

मराठा व सं सं/ला उ.क.म. मराठा भाग सं प्रमाणित २५ वा.व
 वकील की सूची (वे रवई वकील) सिविल प्रसि १)

क्र.सं.	प्रमाणित	वकील	का.सं.
1-	चिड	30-40	नॉ.
2-	— 11 —	40-50	का.
3-	— 11 —	10-20	नॉ.
4-	— 11 —	10-20	नॉ.
5-	— 11 —	10-20	नॉ.
6-	— 11 —	40-50	का.
7-	— 11 —	50-60	का.
8-	— 11 —	20-30	नॉ.
9-	— 11 —	20-30	नॉ.
10-	— 11 —	20-30	नॉ.
11-	— 11 —	20-30	नॉ.
12-	— 11 —	30-40	नॉ.
13-	— 11 —	30-40	नॉ.
14-	— 11 —	20-30	नॉ.
15-	— 11 —	20-30	नॉ.
16-	— 11 —	20-30	नॉ.
17-	— 11 —	20-30	नॉ.
18-	चिड	30-40	नॉ.
19-	— 11 —	30-40	नॉ.
20-	— 11 —	20-30	नॉ.
21-	— 11 —	20-30	नॉ.
22-	— 11 —	20-30	नॉ.

जे

सहायक
 २०३०१००
 कुमडा / नारा

(प्रमाणित वकील)
 का.सं. अनुमान.
 16.11.2013

SITE INSPECTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of 2.700 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Jaili-Margaon-Taila Motor Road**. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.7425 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. :-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place

Date

Name

Designation.....

Office Seal.

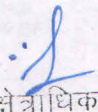
N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे०)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	जखोली	00 मी०	9 मीटर	0.000 (आरक्षित वन भूमि)

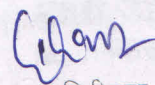

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रेंज जाखणी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

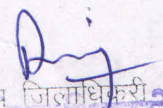
लैन्ड शेड्यूल

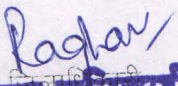
सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	राचित क्षे. फ. (हे०)	टिप्पणी
रुद्रप्रयाग	जखोली	जखोली			0.7425	सिविल सोयम
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव			0.0000	वन पंचायत
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव			1.9575	नाप भूमि


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार
जखोली


उप जिलाधिकारी
जखोली


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

200.

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	ब्लॉक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	जखोली	बांज											

उपरोक्तानुसार गणना किये गये कोई भी बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिनका कि पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त पौड़ी

नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत
नी-मरगांव-तैला मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण
प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

मार्ग पर पड़ने वाले बाधक वृक्षों की मूल्य गणना सूची

क्र०सं०	प्रजाति का नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशि रुपये
1	2	3	4	5	6
1	घोड़ (Pinus Roxburgii)	10-20	3	120.00	360.00
	"	20-30	11	360.00	3960.00
	"	30-40	5	1370.00	6850.00
	"	40-50	2	3100.00	6200.00
	"	50-60	1	5500.00	5500.00
	"	60-70			
	"	70-80			
	"	80-90			
		Above 90			
			22	Total	22870.00
	22870.00	का 40% =			9148.00
				G. Total	32018.00

अनुसूचित दरो में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु -

4 वर्षों में वृद्धि $10\% \times 4 = 40\%$

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी जखोली रेंज
जखोली

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन निर्मित होने वाले जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग, लम्बाई 3.00 किमी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।


वन क्षेत्राधिकारी
जखोली रुद्र
प्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (पंचवर्षीय)

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

क्षेत्रफल

0.7425 Ha

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं०:-

1485

क्र.सं.	प्रजाति	संख्या
1	खैर	265
2	सीरस	225
3	सेमल	235
4	देवदार	250
5	भीमल	285
	तुल	225
	योग	1485

प्रथम वर्ष

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.743 है०	50.00	37.13
2	स्थल सफाई कार्य	0.743 है०	1630.00	1210.28
3	दीवाल बन्दी कार्य / फेन्सिंग (81 घन मीटर @121/m ³)	0.743 है०	9801.00	7277.24
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन घूना सहित	1485.00 प्र०मी०	3.47	5152.95
5	कन्टूर नाली का सीमांकन (1 है० = 20 र०मी०)	7.43 र०मी०	8.00	59.40
6	कन्टूर नाली खोदना (0.50 मी० चौड़ी)	7.43 र०मी०	101.00	749.93
	कन्टूर नाली खोदना (30x30 सेमी चौड़ी गहरी)	7.43 र०मी०	51.00	378.68
7	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम / गड्ढा	37.13 किग्रा	12.00	445.50
8 क	डी०ए०पी० खाद (कन्टूर नाली हेतु) (25 ग्राम प्र० र०मी० 0.50 मीटर चौड़ी)	3.71 किग्रा	12.00	44.55
ख	डी०ए०पी० खाद कन्टूर नाली हेतु (30x20 सेमी चौड़ी गहरी) 25 ग्राम प्रति र०मी०	3.71 किग्रा	12.00	44.55
9	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	1485 प्रति पौध	2.75	4083.75
10	घास उगाने पर व्यय (700 स्लिप्स)	700 प्र / 100 स्लिप्स	48%	336.00

11	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है० को आधार मानते हुए) 1- वानस्पतिक चैकडैम $5 \times 1500 = 75000$ 2- स्मोन चैकडैम $5 \times 5000 = 25000$ 3- वाटर हारवेस्टिंग टैंक $(3 \times 2.5 \times 1m)$, $5 \times 1500 = 7500$ कुल योग 40000.00	0.743 प्रति है०	4000.00	2970.00
12	अन्य व्यय-निरीक्षण बटिया, हथियार	0.743 है०	400.00	297.00
	योग - प्रथम वर्ष			23086.94

द्वितीय वर्ष रोपण हेतु

1	झाड़ी कटान (लेन्टाना गाजर घास/ काला बांस)	0.743 प्रति है०	825.00	612.56
2	गडढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	1485 प्रति सं०	0.62	920.70
3	पौध डुलान कार्य	1485 प्रति सं०	4.02	5969.70
4	पौध रोपण कार्य	1485 प्रति सं०	1.21	1796.85
5	घास का डुलान	1 ल०स०	50.00	50.00
6	कन्टूर खाइयों में बीज बोना	1 ल०स०	102.00	102.00
7	पौधों की प्रथम निराई-गुड़ाई मलचिंग	1485 प्रति सं०	0.83	1232.55
8	द्वितीय निराई, गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य।	1485 प्रति सं०	0.71	1054.35
9	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1485 प्रति सं०	0.75	1113.75
10	घास सिलिप्स का कन्टूर खाइयों में रोपण कार्य।	700 प्रति री० 700 सिलिप्स	48%	336.00
11	वाचर	7 माह	300.00	2100.00
12	कन्टूर नालियों में यूरिया खाद डालना	7.43 20/२०मी०	10.00	74.25
13	नर्सरी से घास खोदना/ काटना 20 सेमी ऊंची।	700 200-मी० / है० 700 सिलिप्स	5%	35.00
14	अन्य व्यय - बोर्ड क्रय कर लगाना, कण्डी रस्सी आदि।	1 ल०स०	500.00	500.00
	योग- द्वितीय वर्ष			15897.71

तृतीय वर्ष - 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	1485 प्रति पौध	3.50	519.75
2	पौध डुलान	1485 सं०	4.02	596.97
3	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण	1485 प्रतिशत	20.50%	304.43

4	गडदों में गोबर खाद डालना मय ढुलान सहित	1485 प्रतिशत	8.50%	126.23
5	शीतकाल में मलचिंग सहित कार्य	1485 प्रतिशत	7.10%	105.44
6	वनीकरण चौकीदार	0.743 प्रति है० / माह	300.00	2673.00
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.74 ल०स०	200.00	148.50
	योग तृतीय वर्ष			4474.31

चतुर्थ वर्ष

1	वनीकरण चौकीदार	0.743 प्रति वर्ष	300.00	2673.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा	0.743 ल०स०	200.00	148.50
	योग - चतुर्थ वर्ष			2821.50

पंचम चरण

1	वनीकरण चौकीदार	0.743 प्रति वर्ष	300.00	2673.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा	0.743 ल०स०	200.00	148.50
	योग पंचम वर्ष			2821.50

कुल व्यय सारांश प्रति है०

क्र०स०	वर्ष का नाम	प्रति है० व्यय
0		
1	प्रथम चरण	23086.94
2	द्वितीय चरण	15897.71
3	तृतीय चरण	4474.31
4	चतुर्थ चरण	2821.50
5	पंचम चरण	2821.50
	कुल व्यय	49101.96

रियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यामन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यामन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी० में हस्तान्तरित की जाने वाली 0.7425 हैक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध दुगुने क्षेत्रफल 1.4850 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन प्रोत्साहिकारी
उत्तरी जखोली रेंज
जखोली

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।



वन क्षेत्राधिकारी
बतरी जखोली रेंज
जखोली

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण पांच वर्षीय योजना (एस0 एस0 पी0) - न्यूनतम 100 वृक्ष

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी0

क्षतिग्रस्त होने वाले वृक्षों की संख्या		22	वृक्ष
क्षतिग्रस्त होने वाले वृक्षों की संख्या के 10 गुने रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या या न्यूनतम 100 वृक्ष।		220	पौध
क्र.सं.	रोपित प्रजाति	संख्या	
1	चीड़	25	वृक्ष
2	देवदार	45	वृक्ष
3	तुन	25	वृक्ष
4	हल्दी	25	वृक्ष
5	बांज	25	वृक्ष
6	उत्तीस	25	वृक्ष
7	बांस	25	वृक्ष
8	अखरोट	25	वृक्ष
	योग	220	वृक्ष

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	2	3	4	5
1	गड्ढा खुदान (0.60x0.60x0.60)	220.00 प्र0 ग0	7.42	1632.40
2	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगने का	220.00 प्र0 सं0	2.75	605.00
3	अन्य व्यय जैसे यंत्र, औजार तेज करना।	L.S. है0	300.00	300.00
	योग - प्रथम चरण			2537.40

द्वितीय चरण

1	गड्ढा खुदान (0.60x0.60x0.60)	220.00 संख्या	1.11	244.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	220.00 संख्या	0.75	165.00
3	पौध दुलान कार्य	220.00 संख्या	4.02	884.40
4	पौध रोपण व थावला बन्दी कार्य	220.00 संख्या	1.21	266.20
5	निराई गुड़ाई करना प्रथम वार	220.00 संख्या	0.83	182.60
6	निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य द्वितीय वार	220.00 संख्या	0.71	156.20
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1 अग0 से अगले वर्ष 28 फवरी तक 7 माह)	1 watcher न्यूनतम है0/ माह	300.00/ Month	2100.00
8	पौधों की सुरक्षा हेतु आर्इरन ट्री गार्ड क्रय करना दुलान गय फिटिंग	220.00 संख्या	800.00	176000.00
	योग- द्वितीय चरण			179998.60

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के बाद प्रथम वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1 watcher	न्यूनतम है0/ माह	300.00/ Month	3600.00
2	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	22.00	संख्या	3.50	77.00
	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण करना	22.00	प्रतिशत	205.00	45.10
3	पौध डुलान कार्य	59.40	प्रतिशत	402.00	238.79
	गड्ढों में गोबर खाद डालना मय डुलान सहित	22.00	प्रतिशत	85.00	18.70
	शीतकाल में मलचिंग सहित कार्य	22.00	प्रतिशत	71.00	15.62
	योग तृतीय चरण				3995.21

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1 watcher	न्यूनतम है0/ माह	300.00/ Month	3600.00
2	अन्य कार्य	0.00		0.00	0.00
	योग - चतुर्थ चरण				3600.00

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1 watcher	न्यूनतम है0/ माह	300.00/ Month	3600.00
2	अन्य कार्य	0.00		0.00	0.00
	योग - चतुर्थ चरण				3600.00

कुल व्यय सारांश प्रति है0 व कुल व्यय

क्र.सं.	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम चरण	2537.40
2	द्वितीय चरण	179998.60
3	तृतीय चरण	3995.21
4	चतुर्थ चरण	3600.00
5	पंचम चरण	3600.00
	कुल व्यय	193731.21

महोदय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पांच वर्षीय (एस0एस0पी0) श्रीमान गढवाल वन संरक्षक महोदय के स्थाई आदेश सं0 196/1-8 दिनांक पौडी 26.07.2009 के अनुसार निर्गत किये गये विभागीय कार्यों की अनुसूचित दरों के अनुकूल तैयार किया गया है।

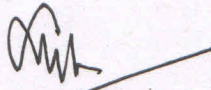

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी जखोली रेंज
जाखणी

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसूची अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


वन सहायिका
उत्तरी जखोली में
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय सहायिका
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-गरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.7425 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

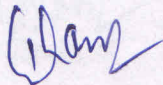


अधिसूची अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



प्रमुख क्षेत्राधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



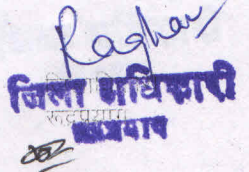
राजस्व उपनिरीक्षक



तहसीलदार
जखोली



उप जिलाधिकारी
जखोली



जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

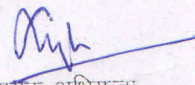
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी का आवेदित नहीं की गई है।

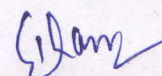

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


वन शिक्षाधिकारी
जखोली जखोली जखोली
रुद्रप्रयाग

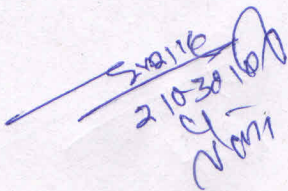
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रयाग
रुद्रप्रयाग


राजारज उपनिरीक्षक


तहसीलदार
जखोली


उप जिलाधिकारी
जखोली
जखोली


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग


21/03/16
Rajaraj

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल/आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र Open Forest/Dense Forest/ Semi Dense Forest की श्रेणी में आता है। जिस हेतु एन०पी०वी० की धनराशि की प्रति है० दर रुपये (.....) है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन रू० (.....) मात्र किया गया है, जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

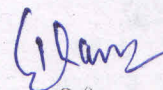
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

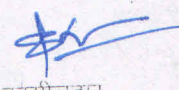
स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

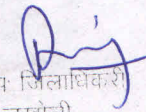
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

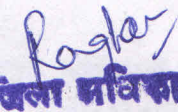

वन क्षेत्राधिकारी
जखोली रेंज
रुद्रप्रयाग जिल्ला प्रशासनिक विभाग

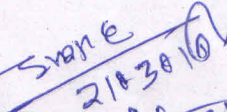
प्रमाणित जनपद अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार
जखोली


उप-जिलाधिकारी
जखोली


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग


21/03/2016
रुद्रप्रयाग

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

1 परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जौली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

- 2 वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मक डिस्पोजल हेतु चिह्नित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल 0.2000 है०
 3 रोपित किये गये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल x 2000) = 400 पौधे
 4 रोपित की जाने वाली प्रजातियां :- जैकरैण्डा, सिल्वर ओक, तुनु, देवदार आदि

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3		4	5
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.200	है०	50	10.00
2	स्थल सफाई कार्य	0.200	है०	1360	272.00
3	दीवालबन्दी कार्य/फनिसंग (150 मी० प्रति है० = 81 घ०मी० @ 121/-घ०मी०)	0.200	है०	9801	1960.20
4	गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	400	गड्ढे	3.47	1388.00
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	12	किग्रा	50.00	600.00
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	400	पौधे	2.75	1100.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार मानते हुए				
	1. वानस्पतिक चैकडैम 1x1500=7500.00	0.200	है०	4000.00	800.00
	2. स्टोन चैकडैम 5x5000=25000.00				
	3. वाटर हरवेस्टिंग टैंक (3x2.50x10) 5x1500=7500.00				
	योग :- 40000.00				
8	निरीक्षण बटिया बनाना	0.200	है०	400.00	80.00
	योग -- प्रथम चरण				6210.20
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य :-				
1	झाडीय कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	0.200	है०	825.00	165.00
2	गड्ढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	400	गड्ढे	0.62	248.00
3	पौध दुलान कार्य	400	पौधे	4.02	1608.00
4	पौध रोपण कार्य	400	पौधे	1.21	484.00

	की प्रथम निराई-गुड़ाई व मलचिंग कार्य	400	पौधे	0.83	332.00
6	पौधों की द्वितीय निराई-गुड़ाई व मलचिंग कार्य	400	पौधे	0.71	284.00
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	400	पौधे	0.75	300.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	0.200	है०	300.00	60.00
9	साईन बोर्ड आदि क्रय	0.200	है०	500.00	100.00
	योग- द्वितीय चरण				3581.00
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०				
1	पौध की लागत	400	पौधे	3.50	1400.00
2	पौध डुलान कार्य	400	पौधे	4.02	1608.00
3	पुनः गडदे खोदना एवं रोपण कार्य	400	पौधे	2.05	820.00
4	गडदों में गावर खाद डालाना लागत सहित	400	पौधे	0.85	340.00
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	400	पौधे	0.71	284.00
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष	0.200	है०	300.00	60.00
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.	ल.स.	200.00	200.00
	योग तृतीय चरण				4712.00
(4)	चतुर्थ वर्ष (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.200	है०	300.00	60.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.	ल.स.	200.00	200.00
	योग - चतुर्थ चरण				260.00
(5)	पंचम वर्ष (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.200	है०	300.00	60.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.	ल.स.	200.00	200.00
	योग - पंचम चरण				260.00
	सम्पूर्ण योग :-				15023.20
				Or	15023.00

वन क्षेत्र अधिकारी
उत्तरी जखोली रेंज
जालंधरी

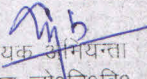
उप वन संरक्षक
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-भरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशेखी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
जखोली
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-गरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
मान्यता प्राप्त रुद्रप्रयाग लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
जखोली
रुद्रप्रयाग वन विभाग

प्रमाणीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

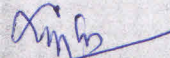
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-गरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में
प्रमाण पत्र

यह मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



वन क्षेत्राधिकारी
जखोली रज
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय तन्त्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना स्थल की दूरी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से उक्त परियोजना की दूरी लगभग 60 किमी० है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



वन्य व वनाधिकारी
दक्षिणी प्रान्तीय लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग